

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद के अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में मुझ थानाध्यक्ष के नेतृत्व में दो नफर अभियुक्त व 190 पेटी अवैध हरियाणा ब्रान्ड की शराब के साथ गिरफ्तार किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण

कल दिनांक 02.09.20 को मै थानाध्यक्ष जीरो प्वाइंट पर मय हमराही के चेकिंग मे मामूर था कि जरिए मुखिबर सूचना मिली कि ओवरब्रिज के नजदीक एक मिनी ट्रक कुशीनगर की ओर जाने वाले रोड पर खड़ी है विश्वास कर मै थानाध्यक्ष मय हमराहियान के मौके पर पहुँचा तो एक डीसीएम टाटा 407 खड़ी थी जिस पर कबाड़ लदा था। गाड़ी के चालक शीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अशोक सिंह पुत्र सुण्डाराम सिंह नि० वार्ड नं० 09 धाबाबाई कालोनी, दान्ता थाना रामगढ़ जिला सीकर, राजस्थान हा०मु० 636/40 मिरागिल लोहार, राणापाना, थाना कन्जावला, जिला बाहरी जिला, दिल्ली बताया तथा दूसरे ने अपना नाम संदीप पुत्र रामफल नि० जाटल रोड सोंधापुर थाना माडलटाउन जिला पानीपत, हरियाणा हा०मु० म०नं० 1030 सूर्या कालोनी थाना रोहतक शहर जनपद रोहतक, हरियाणा बताया। ट्रक खड़ा होने के बारे में पूछा गया तो कोई संतोष जनक जबाब नहीं दे पाये पुनः जब मै थानाध्यक्ष मय हमराहियान के जब खड़ी ट्रक का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ट्रक के आगे HR69 A4916 तथा पीछे के तरफ UP57 2646 अंकित है। कूटरचित नम्बर के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुए गाड़ी की तलाशी की गयी तो गाड़ी में लोहे की एक चद्दर से रैक बनाकर उसमें गत्ते में कुल 190 पेटी हरियाणा मार्का की अवैध शराब बरामद हुई। जिसकी कीमत लगभग 4.5 से 5 लाख रुपया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मय माल के थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 649/20 धारा 60/63/72 आबकारी अधि० व 420,467,468,471,483 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

जीरो प्वाइंट ओवरब्रिज के पास बने गोलम्बर, दिनांक 02.09.20 समय 19.50 बजे।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

1. अशोक सिंह पुत्र सुण्डाराम सिंह नि० वार्ड नं० 09 धाबाबाई कालोनी, दान्ता थाना रामगढ़ जिला सीकर, राजस्थान हा०मु० 636/40 मिरागिल लोहार, राणापाना, थाना कन्जावला, जिला बाहरी जिला, दिल्ली।
2. संदीप पुत्र रामफल नि० जाटल रोड सोंधापुर थाना माडलटाउन जिला पानीपत, हरियाणा हा०मु० म०नं० 1030 सूर्या कालोनी थाना रोहतक शहर जनपद रोहतक, हरियाणा।

बरामदगी:-

1. 190 पेटी में कुल 9120 180ml की सीसी बरामद कीमती करीब 4.5 लाख से 5 लाख रु०।
2. एक अदद डीसीएम 407 टाटा कम्पनी का आगे पीछे भिन्न भिन्न नम्बरप्लेट लगा है
3. दो अदद नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सिंह थाना गीडा, जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० संतोष कुमार सिंह थाना गीडा, जनपद गोरखपुर
3. उ०नि० शुशील प्रसाद थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. हे०का० राजेन्द्र वर्मा थाना गीडा जनपद गोरखपुर
5. हे०का० विनोद यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
6. का० पवनेश पाण्डेय थाना गीडा, जनपद गोरखपुर